उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 265 / सत्रह-वि-1-2(क)5-1994
लखनऊ, 11 फरवरी,1994

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश, लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1994

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994)

(भारत गणराज्य के पैतालिसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूकिं, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 213, के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- इस अध्यादेश में - परिभाषायें

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य अनुसूची-एक मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है:

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं:-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी :

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो :

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 मे यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृतसमादत्त शेयर पूंजी इक्वायन प्रतिशत से कम न हो :

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय

राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है :

(पाँच) जिसके सम्बन्ध में इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था।

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के पक्ष में आरक्षण

3-(1) लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

(क)	अनुसूचित जातियों के मामले में	इक्कीस प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जन-जातियों के मामले में	दो प्रतिशत
(ग)	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों मे से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।

(3) यदि उपधारा (2)में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती मे अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों मे से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमे भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) मे उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष मे कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) मे उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता मे सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

अध्यादेश के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4-(1)राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) मे निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार

विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

शास्ति

5-(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अध्यादेश के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1) धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6- यदि राज्य सरकार की जानकारी मे यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) मे उल्लिखित किन्ही भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

7- राज्य सरकार, आदेश द्वारा चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो

को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8-(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) मे उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह अवश्यक समझे। छूट और शिथिली-करण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति मे आरक्षण के सम्बन्ध मे अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध मे इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

9- इस अध्यादेश के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जाएगा। जाति प्रमाण-पत्र

10- यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाईयों को दूर करना।

11- इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण मे सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

12- राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

13- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

14- धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

15-(1) इस अध्यादेश के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरणः- जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार-

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहां यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर:, या

(दो) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों हो, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायगी।

(2) इस अध्यादेश के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

निरसन और अपवाद

16-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993

मोतीलाल वोरा,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

अनुसूची-एक

(देखिए धारा 2 (ख))

1- अहीर
2- अरख
3- काछी
4- कहार
5- केवट या मल्लाह
6- किसान
7- कोइरी
8- कुम्हार
9- कुर्मी
10- कम्बोज
11- कसगर
12- कुंजड़ा या राईन
13- गोसाई
14- गूजर
15- गड़ेरिया
16- गद्दी
17- गिरि
18- चिकवा (कस्साब)
19- छीपी
20- जोगी
21- झोजा
22- डफाली
23- तमोली
24- तेली
25- दर्जी
26- धीवर
27- नक्काल
28- नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29- नायक
30- फकीर
31- बंजारा
32- बढ़ई
33- बारी
34- बैरागी
35- बिन्द
36- बियार
37- भर
38- भुर्जी या भड़भूजा
39- भठियारा
40- माली, सैनी
41- मनिहार
42- मुराव या मुराई
43- मोमिन (अंसार)
44- मिरासी
45- मुस्लिम कायस्थ
46- नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47- मारछा
48- रंगरेज
49- लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50- लोहार
51- लोनिया
52- सोनार
53- स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54- हलवाई
55- हज्जाम (नाई)

अनुसूची-दो

(देखिए धारा 3 (1))

1- निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा के पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य : या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो : या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) मे सम्मिलित नहीं है : या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उपश्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है : या

(ड.) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रूपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2- चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय मे लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षो की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो।

3- किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षो की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4- किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाईयों मे विनियोजन का स्तर दस करोड़ रूपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन मे कम से कम पांच वर्षो से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5- किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियम सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़ कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रूपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6- किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों मे सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षो की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

No. 265 (2)/XVII-V-1-2(Ka)-5-1994
Dated Lucknow, February 11, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translationof the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jajatiyon Aur Anya Pichhre Vargon ke Liye Arakshan) Adhyadesh, 1994 (Uttar Pradesh Adyadesh Sankhya 5 of 1994) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ORDINANCE, 1994

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 1994)

(Promulgated by the Governor in the the Forty-fifth year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

to provide for the reservation in public Services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other backward Classes of citizens and for mattres connected therewith or incidental thereto.

WHERE AS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement.

1- (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance. 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Definitions

2. In this Ordinance, -

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts;

(b) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Scheduled I;

(c) "public services and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in-

(i) a local authority;

(ii) a co-operative society as defined in clause(*f*) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one percent of the share capital of the society in held by the State Government;

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a Central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies act, 1956 in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a university established by or under Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution:

(v) respect of which reservation was applicable by Government Orders on the date of the commencement of this Ordinance;

(d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other Backward Classes.

3. (1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recrutment, the following percentages or vacancies to which recruitments are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens,-

(a) in the case of Scheduled Castes	twenty one percent;
(b) in the case of Scheduled Tribes	two percent;
(c) in the case of other backward Classes of citizens	twenty seven percent

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) If, in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section(1) remains unfilled, special recruitment shall be made for such number of time, not exceeding three, as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(3) If, in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment referred to in sub-section (2), it may be carried over to the next year commencing from first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in that year total reservation of vacancies for all categories or persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed fifty percent of the total vacancies.

(5) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is exhausted.

(6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) get selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section(1).

(7) if, on the date of commencement of this Ordinance, reservation was in force under Government Orders for

appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

Responsibility and Powers for compliance of the ordinance

(4)(1)The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this ordinance.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section(1) of section 4 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Ordinance shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an Officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call for record

6. If it comes of the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Ordinance or the made there under or the Government Orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Representation in Selection Committee

7. The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward Classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

Concession and relaxation

8. (1) The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may

consider necessary.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Ordinance, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not inconsistent with the provisions of this Ordinance shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

Caste certificate

9. For the purposes of reservation provided under this Ordinance, caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order, provide.

Removal of Difficulties

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Protection of action taken in good faith

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Ordinance or the rules made thereunder.

Power to make rules

12. The State Government may, be notification, make rules for carrying out the purpose of this Ordinance.

Power to amend Schedules

13. The State Government may, by notification amend the Schedules and upon the publication of such notification in the Gazette, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

Laying of Orders etc.

14. Every order made under sub-section (5) of section 3, sub-section (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Savings

15.(1)The provisions of this Ordinance shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Ordinance and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government Orders as they stood before such commencement.

Explanation: For the purpose of sub-section (7) the Selection process shall be deemed to have been initiated where, under the

relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of-

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Ordinance shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

Repeal and savings

16.(1)The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Backward Classes) Act, 1989 and The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)Act, 1993 are hereby repealed.

U.P Act No. 21 of 1984
U.P Act no 3 of 1993

(2) Not with standing such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

MOTILAL VORA,
Governor
Uttar Pradesh

By Order,
N.K. NARANG
Sachiv.

SCHEDULED-1
[See Section 2 (6)]

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumahar
9. Kurmi
10. Kamboj
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar
15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chikwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Dhafali
22. Jhoja
23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi
26. Dhiver
27. Naqqal
28. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali, Saini
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori
47. Marchcha
48. Rangrez
49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category
54. Halwai
55. Hajjam (Nai)

SCHEDULED-II
(See SECTION 3 (b))

1. Son or daughter of-

(a) a member of Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any state Service; or

(b) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service; or

(c) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category (a); or

(d) such Group A /Class I officer of any Department or Institution of the State Government, who is not included in sub- category (b); or

(e) an officer of the defence forces or para military forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank;

Provided that the income from salary of such member of service or officer is Rupees ten thousand or more per mensum, his spouse is at least a graduate and he or his spouse owns a house in an urban area.

2. Son or daughter of a person engaged in profession as a Doctor, Surgeon, Engineer, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, Media and Information Professional, Management and other consultant, flim artist and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stock broker or in entertainment business;

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees Ten Lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees Twenty Lakh,

3. Son or daughter of a business man whose average income for three consecutive financial years is not less than rupees Ten Lakh per annum, his spouse is at least a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees Twenty Lakh.

4. Son or daughter of an industrialist whose level of investment in running units is over rupees Ten crore and such units are engaged in commercial production for at least five years and his spouse is at least a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holding within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of rupees Ten Lakh in a financial year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is at least a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years in not less than rupees Ten Lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least ruppes Ten Lakh.'

By Order,
N.K. NARANG
Sachive